

Divisional Forest Officer,
Dharamshala Forest Division,
Dharamshala, Distt.Kangra(H.P.)

Diversion of 0.4189 ha. of Forest Land in favour of Himachal Pradesh Education Department, Department of Higher Education Lalpani, Shimla, HP, for the construction of Govt. Degree College Lanj, within the jurisdiction of Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra (H.P) (Online Proposal No. FP/HP/Other/25573/2017).

Please refer to the Govt. of India, MoEF&CC Integrated Regional Office, Shimla letter No. 8B/HP/09/08/2021/FC/183 dated 26.02.2021 on the subject cited above where in the "sanction in Principal" for diversion of 0.4189ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV Penal NPV and CA stands deposited in respective heads. The detail of same along with point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval is as under:-

सैधनतिक स्वीकृति की शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर्		
1.	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी ।	प्रयोक्ताअभिकरणयहवचनबद्धताप्रस्तुतकरतीहैकि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नही करेगी ।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ताअभिकरणयहवचनबद्धताप्रस्तुतकरतीहैकि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाये ।
3.	प्रतिपूरकवनीकरण: (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वाराप्रतिपूरक वनीकरणके लिए 840 पौधोंकारोपणकार्यएवं 10 वर्षोंतकरखरखावकीआवश्यकधनराशीजमाकीजाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि के बचें । राज्य शासन द्वाराोपणक्षेत्रकाविवरण, के०एम०एल०फाइल,नक्शाइत्यादिजानकारीइसका र्यालयमेंप्रस्तुतकीजाएगी। (ख)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है । (ग)क्योंकिप्रस्तावितक्षेत्रमेंपूर्वstructure दिखाईदेरहाहै । अतःराज्यसरकारनिर्देशितguideline para 1.21 (ii) केअनुसारFCA,1980 केउल्लंघनफलस्वरूपbroken area केलिए Penal NPV किनिर्धारितराशीकैम्पाकोषमेंonline web portal द्वाराप्रयोक्ता अभिकरण	(क)प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि में 840 पौधोंकेरोपणएवं 10 वर्षोंतकरखरखावकीआवश्यकधनराशीRs. 1,86,572/- जमाकरादीगईहै ।जहां तक व्यावहारिक हो सकेगा स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को ही लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि करने से बचाया जायेगा । (ख)उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है ।वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। (ग)Penal NPV किनिर्धारितराशीRs. 4,07,321/-online web portal केमाध्यमसेजमाकरादीगईहै ।

Principal,
G. C. Lanj

(Handwritten notes on a pink sticky note attached to the left side of the page)

Being
N/A N/A
M/N/A
~~Dy~~ RANITIDINE 100 mg supd.

	के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथितक calculate किया जायेगा। एवं violation रिपोर्ट भी इस कार्यालय में प्रेषित की जाएगी।	
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। और प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त जो भी प्रावधान शामिल किए जाएंगे प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य:- इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.0. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-4 /998-एफ.सी. (Pt.2). दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.0.2006 एवं 5-3 / 2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.4189 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख). विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का एक शरापथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 2,75,217/- दिनांक: 02-09-2021 को लेन देन संदर्भ संख्या PUNBD21245004070 के माध्यम से जमा करवा दी गयी है। इ-चालान की प्रतिसलंगन की जाती है। (ख). वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि जमा करवाने का प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ सलंगित है।
6.	राज्य सरकार animal passage plan की आवश्यकता हेतु CWLW के comments प्रेषित करेगी।	राज्य सरकार animal passage plan की आवश्यकता हेतु CWLW के comments प्रेषित करेगी।
7.	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है।
8.	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा। A No.3840 in WP (e) No.202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।

Principal,
G. C. Lanj

10.	आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।
11.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs.2,75,217/-. Penal NPV Rs. 4,07,321/-, Compensatory Afforestation Rs. 1,86,572/-, Contingency @ 5% on CA Rs. 9,329/-only, Total=(2,75,217+4,07,321+1,86,572+9,329)=8,78,439/दिनांक:-02-09-2021 को लेनदेन संदर्भ संख्या PUNBD21245004070 के माध्यम से जमा करवा दी गयी है। इ-चालान की प्रति सलगन की जाती है।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
13.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता पत्र के साथ सलगन है।
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचन बद्धता पत्र के साथ सलगन है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	केंद्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत दी गयी सैधनतिक शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।
16.	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिसपर Forward/ Backward bearing & GPS Coordinates अंकित हों।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
20.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर जो भी निर्धारित शर्तें लागू होंगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पालन किया जायेगा।

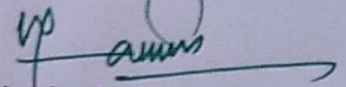
Principal,
G. C. Lanj

21.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तयसीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तयसीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी।
22.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद // नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत दी गयी सैधनतिक शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।
23.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

This is for your kind information and further action.

DA/- As above

Your Faithfully,



Principal,
Dovt. Degree College
Lanj, Distt. Kangra HP.

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

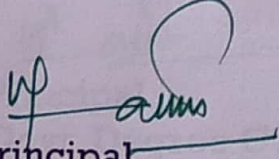
Date of Proposal : 12 Jul 2017

**UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL NET
PRESENT VALUE OF FOREST AREA**

We, the user agency hereby undertake that we shall be abide to pay the Additional amount of Net Present Value (NPV) of the land if any increased in future as per the guidelines of Hon'ble Supreme Court of India.

Place : Lanj

Dated : 12/10/2021


Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

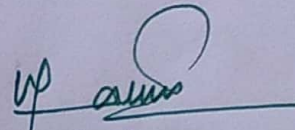
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING FOR STRIP PLANTATION

It is hereby undertaken that after the completion of the Project, strip plantation on both side of Project and Centre Verge will be done as and where possible on own cost of Education Department under the supervision of Forest Department.

Place : Lanj

Dated : 12/10/2021



Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

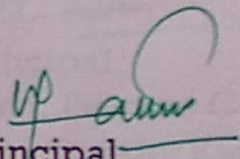
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING FOR DUMPING SITE

It is hereby undertake that no muck will be disposed off at in open. No damage to the environment and forest land will be caused due to Project muck/debris and the land given in accommodate the surplus material arising out of the construction of the College Building will be sufficient.

Place :Lanj

Dated : 12/10/2021


Principal

Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

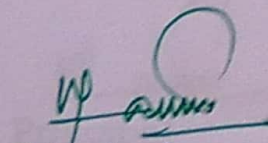
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING

It is hereby undertaken that the diversion of forest land will be made after the decision of Hon'ble Supreme Court.

Place :Lanj

Dated : 12/10/2021



Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

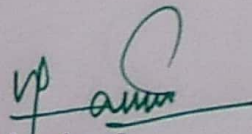
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING TO SUPPLY THE FUELWOOD TO LABOURS

We, the User Agency hereby undertake that fuel wood to the labour will be provided through the H.P State Forest Development Corporation Depots or any other legal source of supply of fuel wood.

Place :Lanj

Dated : 12/10/2021



Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

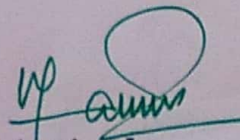
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING NOT TO ESTABLISH LABOUR CAMPS

We, the User Agency hereby undertake that no labour camp will be established on Forest Land.

Place :Lanj

Dated : 12/10/2021



Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

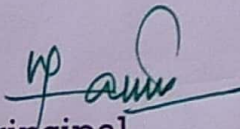
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING NOT TO CHANGE LAYOUT PLAN

We, the User Agency hereby certify that the Layout Plan for construction of Govt. Degree College Lanj will not be changed without prior approval from Central Government.

Place : Lanj

Dated : 12/10/2021


Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

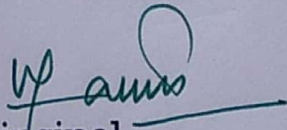
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING

We, the User Agency hereby certify that according to the proposal, no trees of any kind will be cut in the forest land during the construction of Govt. Degree College Lanj.

Place :Lanj

Dated : 12/10/2021


Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : FP/HP/Others/25573/2017

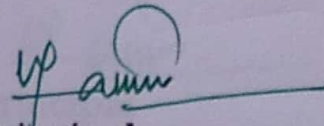
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING

We, the User Agency hereby certify that,
Forest land will not be used for any purpose other than those
specified in the project proposal.

Place :Lanj

Dated : 12/10/2021



Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

DIVERSION OF 0-41-89 HA. OF FOREST LAND FOR CONSTRUCTION OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
LANJ IN DISTRICT KANGRA (H.P.)

File No. : **FP/HP/Others/25573/2017**

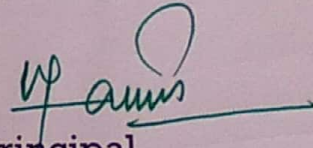
Date of Proposal : 12 Jul 2017

UNDERTAKING

We, the User Agency hereby certify that,
The proposed forest land will not be transferred to any other
agencies, department.

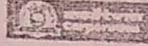
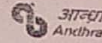
Place :Lanj

Dated : 12/10/2021



Principal
Govt. Degree College,
Lanj, District Kangra

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
भारत (India)

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-09-2021

Agency Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
Application No.	19925573288
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/08/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address.	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION, LALPANI SHIMLA, HP Shimla
Amount(in Rs)	878439/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Eight Thousand Four Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

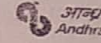
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507019925573288 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Principal,
G. C. Lanj

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank
भारत (India)

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 02-09-2021

Agency Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
Application No.	19925573288
MoEF/SG File No.	8B/HP/09/08/2021/FC
Location.	HIMACHAL PRADESH
Address:	DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION, LALPANI SHIMLA, HP Shimla
Amount(in Rs)	878439/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Eight Thousand Four Hundred and Thirty-Nine Rupees Only

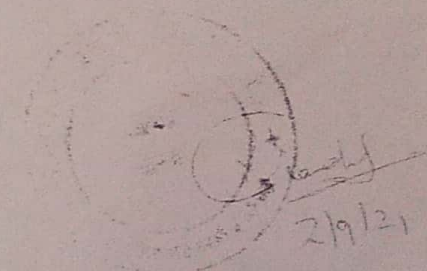
NEFT/RTGS to be made as per following details;

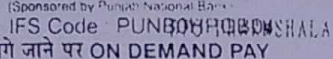
Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507019925573288 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

SF = 87740100075928

V72 - 10000 2124500 4070





मांगे जाने पर ON DEMAND PAY

(Valid for Three Months तीन माह के लिए वैध)

2	9	0	4	2	0	2	
---	---	---	---	---	---	---	--

D D M M Y Y Y Y

या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये Rupees

††Thirty Four Thousand Two Hundred Eighty Three only††

प्राप्त मूल्य के लिए अदा करें
For Value received

OT	TT	OL	TL
----	----	----	----

शाखा क्रम संख्या
Branch Sr. No

0009/2021

₹

¥34,283.00¥

Purchased from PRINCIPAL GOVT DEGREE COLLEGE LANI

Authorised Signatory

Authorised Signatory

Code No

Please Sign above:

Code No.

D. No. 3913
Drawee Branch DHARMSALA FINACLE

HD - FINACLE -

PF 788

|| 1 2 1 8 ? ? || 0008 280001:

9.

Principal,
G. C. Lanj